

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

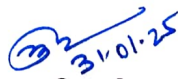
आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 32/सन-2024- 25

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31.01.2025	<u>—:आदेश: —</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०- 32/2024- 25 आवेदकगण बाबूलाल महतो, पिता- स्व० जागो महतो 2. रामलखन यादव, पिता- स्व० टहलु महतो 3. मसोमात कामेश्वरी देवी, पति- स्व० तेजो महतो, साकिन- रतबाद, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 09, श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- पंडरिया, थाना नं०- 27, खाता सं०- 35, रकवा- 1.31 ए० भूमि रैयती खाते की है। मौजा- डुमरडीहा, थाना नं०- 32 के खाता सं०- 8, रकवा- 1.15 ए० भूमि रैयती खाते की है। उक्त दोनों खाता एवं दोनों मौजा का जमीन भौतिक पंजी- II के आधार पर ऑनलाईन में मौजा पंडरिया के भाग सं०- 01, पृष्ठ सं०- 140 पर चढ़ गया है। जिसे आवेदकगण के द्वारा अलग - अलग मौजा में चढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया। अतः आवेदकगण द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दोनों मौजा का जमाबंदी अलग - अलग करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में ऑनलाईन में मौजा पंडरिया के पृष्ठ सं०- 140, भाग सं०- 01 पर दर्ज जमाबंदी को मौजावार अलग - अलग कर मौजा डुमरडीहा/32 के ऑनलाईन पंजी- II में खाता सं०- 8, प्लॉट नं०- 290 एवं अन्य, रकवा- 1.15 ए० का जमाबंदी कायम करने एवं मौजा- पंडरिया/27 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- I पृष्ठ सं०- 140 में कायम जमाबंदी के रकवा में सुधार कर रकवा- 1.31 एकड़ करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों के द्वारा समर्पित किए गए शपथ पत्र सं०- 149 दिनांक- 28.01.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा पंडरिया के पृष्ठ सं०- 140, भाग सं०- 01 पर दर्ज जमाबंदी को मौजावार अलग - अलग कर मौजा डुमरडीहा/32 के ऑनलाईन पंजी- II में खाता सं०- 8, प्लॉट नं०- 290 एवं अन्य, रकवा- 1.15 ए० का जमाबंदी कायम करने एवं मौजा- पंडरिया/27 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- I पृष्ठ सं०- 140 में कायम जमाबंदी के रकवा में सुधार कर रकवा- 1.31 एकड़ करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।	


 अंचल अधिकारी,
 धनवार।


 अंचल अधिकारी,
 धनवार।